## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 130 / 2024

अनवान : –

1. राकेश कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
2. सुर्य प्रकाश पुत्र साजनराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।

– सायलान

**बनाम्**

1. साजन पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
2. श्रीराम पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
3. हेतराम पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
4. हरीराम पुत्र सुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

**निर्णय** दिनांकः 29/07/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 144 / 155 के ख0न0 247 की 16.059 हैक्ट भूमि व ख0न0 268 की 3.2650 हैक्ट भूमि कुल 19.3240 हैक्ट भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में सायला के दादा हनुमान के नाम दर्ज थी तथा सायला के दादा ने वादग्रस्त भूमि अपने पुत्रगणों के नाम दर्ज करवा दी। गैरसायल स0 1 के नाम उक्त वाद भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है जिसमें सायला का भी जन्मजात हक हिस्सा है। अतः उक्त वाद भूमि में सायला बहिब गैरसायल स0 1 के साथ अपना हक हिस्सा दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 जो सायला का पिता है के नाम उक्त भूमि कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है वाद भूमि पैतृक होने के कारण सायलान का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अपने अकेले के नाम भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहता है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। वाद भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा मुश्तरका भूमि में से बिना लाईसेंस व रायल्टी चुकाये जिप्सम निकाली जा रही है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं विभाजन से पूर्व खनन कर जिप्सम न निकाले।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने [illegible] रोही मोजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 144 / 155 की कुल 19.3240 हैक्ट भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के [illegible] व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की प्रार्थीगण उक्त वाद भूमि मे किसी प्रकार के टिनेन्ट नही है तथा न ही वाद भूमि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है एवं सहखातेदार नही होने के कारण सायल उक्त आशयों की घोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी नही है। उत्तरदातागण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अतः रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है, अतः बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों एव खाता विभाजन की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा खरसण्डी तहसील नोहर के खाता स0 144/155 के ख0न0 247 की 16.059 हैक्ट भूमि व ख0न0 268 की 3.2650 हैक्ट भूमि कुल 19.3240 हैक्ट भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश सहायक खनि अभियंता हनुमानगढ़ के आदेश कमाक 12933 दिनांक 06.02.2024 के अनुसार श्री साजन राम पुत्र श्री सुखराम के नाम जिप्मस परमिट जारी किया गया ळे जो आदिनांक तक प्रभावी है जिसके सम्बध में कोई उज्र ऐतराज है तो सक्षम न्यायालय/कार्यालय मे आपत्ति पेश कर खनन अनुमति निरस्त करवावे बिना किसी ठोक आधार के खातेदार काश्तकार को पाबन्द नही किया जा सकता है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है।

उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर दिनांक 12.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/07/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.07.31 18:35:30 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर